

#### असाधारण

#### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2761] No. 2761] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 21, 2015/अग्रहायण 30, 1937

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 21, 2015/AGRAHAYANA 30, 1937

## वस्त्र मंत्रालय आदेश

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2015

का.आ. 3480(अ).— केन्द्र सरकार ने, स्थायी सलाहकार सिमिति द्वारा उसे की गई सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् दिनांक 13 फरवरी, 2015 के आदेश सं. का.आ. 527(अ) द्वारा, उस आदेश की अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं के संबंध में निदेश दिया था कि वे आपूर्ति अथवा वितरण के लिए पटसन पैकेजिंग सामग्री में ऐसी न्यूनतम प्रतिशतता में, जैसे कि वर्ष 2014-15 अर्थात् 30 जून, 2015 तक के लिए उक्त अनुसूची के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट हैं, पैक की जाएंगी।

और जबिक केन्द्र सरकार ने 23 जून, 2015 के आदेश सं. का. आ.1676(अ) के माध्यम से 30 सितम्बर, 2015 को समाप्त होने वाले उपरोक्त आदेश की वैद्यता का विस्तार, उक्त आदेश की समाप्ति की तारीख से तीन मास की अविध के लिए कर दिया है तथा दिनांक 28 सितम्बर, 2015 के उक्त आदेश सं. का. आ. 2640(अ) के माध्यम से उक्त आदेश की वैद्यता का आगे विस्तार उक्त आदेश की समाप्ति की तारीख से तीन महीने की अविध अर्थात् 31 दिसम्बर, 2015 तक के लिए कर दिया है।

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, पटसन पैकेजिंग सामग्री (वस्तु पैकिंग में अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 (1987 का 10) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा निदेश देती है कि 31 दिसम्बर, 2015 को समाप्त होने वाले उपरोक्त आदेश की वैद्यता का विस्तार उक्त आदेश की समाप्ति की तारीख से तीन मास की अवधि अर्थात् 31 मार्च, 2016 तक अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए किया जाएगा।

[फा. सं. 9/16/2011-पटसन]

ए. मधुकुमार रेड्डी, संयुक्त सचिव

5372 GI/2015 (1)

**टिप्पण**: मूल आदेश, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित दिनांक 13 फरवरी, 2015 के आदेश सं. का.आ. 527(अ) के द्वारा प्रकाशित किया गया था और 28 सितम्बर, 2015 के आदेश सं. का. आ. 2640(अ) के माध्यम से इसका पिछली बार विस्तार किया गया था।

# MINISTRY OF TEXTILES ORDER

New Delhi, the 21st December, 2015

**S.O. 3480(E).**—Whereas the Central Government after considering the recommendations made to it by the Standing Advisory Committee, had directed by order number S.O. 527(E), dated the 13<sup>th</sup> February, 2015, that the commodities specified in column (2) of the Schedule to that order, shall be packed in jute packaging material, for supply or distribution, in such minimum percentage, as specified in the corresponding entries in column (3) of the said Schedule, for the year 2014-2015, i.e., upto the 30<sup>th</sup> June, 2015;

And whereas the Central Government extended the validity of the said order *vide* order number S.O.1676(E), dated the 23<sup>rd</sup> June, 2015, for a period of three months from the date of the expiry of the said order, that is, upto the 30<sup>th</sup> September, 2015 and again extended the validity of the said order *vide* order number S.O.2640(E), dated the 28<sup>th</sup> September, 2015, for a period of three months from the date of the expiry of the said order, that is, upto the 31<sup>st</sup> December, 2015;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Jute Packaging Materials (Compulsory Use in Packing Commodities) Act, 1987 (10 of 1987), the Central Government hereby directs that the validity of the aforesaid order, expiring on the 31<sup>st</sup> December, 2015, shall be extended for a further period of three months i.e. the upto 31<sup>st</sup> March, 2016 from the date of expiry of the said order or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 9/16/2011-Jute]

A.MADHUKUMAR REDDY, Jt. Secy.

**Note:-** The principal order was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 527(E), dated the 13<sup>th</sup> February, 2015 and last amended *vide* number S.O. 2640(E), dated the 28<sup>th</sup> September, 2015.